

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत
अभिलेख संख्या-65/2024-25

-: आदेश :-

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की
क्रम संख्या
तौर तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

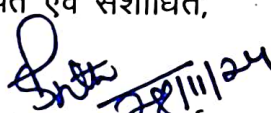
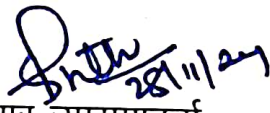
28/11/24

अभिलेख उपस्थापित।

आवेदक (विक्रेता) 1. निरंजन रजवार, 2. लालदेव रजवार, दोनों के पिता-स्व0 जगत रजवार, जाति-रजवार, ग्राम-दिवानगंज, थाना-पिण्डाजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-दिवानगंज, थाना नं0-48, खाता नं0 पुराना-17, नया-23, प्लॉट नं0 पुराना-319, नया-550, रकवा-05 डी0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 451/भू0सु0, दिनांक-20.09.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।

अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 2142 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :-

1. बिक्री की जानेवाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान तनु रजवार दीगर के नाम से दर्ज है।
2. भूमि खतियान से प्राप्त है, खतियानी रैयत से विक्रेता का संबंध परदादा है।
3. पंजी II रैयत से विक्रेता का संबंध पिता है।
4. (क) विक्रेता ग्राम-दिवानगंज, थाना-पिण्डाजोरा, जिला-बोकारो का मूल निवासी है।
(ख) क्रेता ग्राम-काशीझरिया, थाना-पिण्डाजोरा, जिला-बोकारो के मूल निवासी है।
5. विक्रेता एवं क्रेता (ST मामले में) लागु नहीं है।
6. विक्रेता एवं क्रेता SC हैं दोनों एक ही जिला के अन्तर्गत है एवं बिक्री की जानेवाली भूमि बोकारो जिला में है।
7. विक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति के रजवार हैं, जो अनुसूचित जाति के श्रेणी में आते हैं।
8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है।
9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/ धार्मिक-स्थल/अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है।
10. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास रकवा-1 एकड़ 27 डी0 जमीन अवशेष बचता है।
11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार कुल 14 डी0 भूमि है।
12. भूमि बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे।
13. विक्रेता द्वारा बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेता को खतियान से प्राप्त है।
14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी संख्या 23/1 पर जमाबंदी जगत रजवार दीगर के नाम पर कायम है। लगान रसीद वर्ष 2024-25 तक निर्गत है। ऑनलाईन जमाबंदी के भाग सं0-01, पृष्ठ सं0-23 में अंकित है।
15. विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है जो अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है।
16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है।
17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किस्म गोड़ा III है।
18. आवेदक को मौजा-दिवानगंज, थाना नं0-48, खाता नं0 पुराना-17, नया-23, प्लॉट नं0 पुराना-319, नया-550, रकवा-05 डी0 भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।
19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेशपर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० क्रमशः JHLRCO/2024/443978 दिनांक 05.07.2024, JHLRCO/2024/398797 दिनांक-01.06.2024 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० JHLRCO/2024/378959 दिनांक 11.05.2024 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत आवेदक (विक्रेता) 1. निरंजन रजवार, 2. लालदेव रजवार, दोनों के पिता-स्व० जगत रजवार, जाति-रजवार, ग्राम-दिवानगंज, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-दिवानगंज, थाना नं०-48, खाता नं० पुराना-17, नया-23, प्लॉट नं० पुराना-319, नया-550, रकबा-05 डी० भूमि (क्रेता) शक्तिपद रजवार पिता-स्व० बहादुर रजवार, जाति-रजवार, ग्राम-काशीझरिया, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो को बिक्री करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित,  भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	